भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1038
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ के कार्मिकों को एक वर्ष में 100 दिन की छुट्टी

1038 श्री शक्तिसिंह गोहिल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घोषणा की है कि अर्धसैनिक बलों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कार्मिकों को अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक वर्ष में कम से कम 100 दिन की छुट्टी दी जाएगी;
(ख) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में 30 दिन की वार्षिक छुट्टी को 60 दिन किए जाने के लिए नया सर्वेक्षण कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो अर्धसैनिक बलों/सीएपीएफ में आत्महत्या/सहकर्मी हत्या के मामलों की बड़ी संख्या के मद्देनजर 100 दिन की छुट्टी लेने वाले कर्मियों की बल-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों के समग्र कल्याण को समुचित महत्व दिया है। इस उद्देश्य से, मंत्रालय ने निरंतर प्रयास किए हैं ताकि सीएपीएफ कार्मिक एक वर्ष में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें, जिससे उनका जीवन संतुलन बेहतर हो सके।

(ख) : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

दिनांक 04.12.2024 के लिए राज्य सभा अ. ता. प्र. सं. 1038

(ग) : वर्ष 2020 से अब तक, एक वर्ष में 100 दिन की छुट्टी लेने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) के कार्मिकों (बल-वार) की संख्या निम्नानुसार है:-

बल	**वर्ष**					**कुल**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 (अक्टूबर, 2024 तक)**	
सीआरपीएफ	570	632	502	470	71	2245
बीएसएफ	6941	3978	3745	3774	3295	21733
आईटीबीपी	211	227	275	391	368	1472
एसएसबी	1258	1084	1102	1449	1249	6142
सीआईएसएफ	1429	2119	1828	2234	1228	8838
एआर	621	925	412	318	91	2367
कुल	**11030**	**8965**	**7864**	**8636**	**6302**	**42797**

******